

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात

317. श्री ईश्वरस्वामी के:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बड़ी संख्या में निर्यात संबंधी पैनल ने यह कहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अपने उत्पादन का केवल कुछ प्रतिशत ही निर्यात करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों से औसत और विशिष्ट प्रकार के निर्यातों के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;
- (ग) निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विरुद्ध लगाई गई विशिष्ट शास्तियां का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस संबंध में विफल रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है; और
- (ङ) उन प्रबंधनों जिन्होंने उल्लिखित उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया है, को लक्षित करते हुए विफल विशेष आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें विफल आर्थिक क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से निर्यात का ब्यौरा निम्नवत हैं: -

वर्ष	कुल निर्यात (करोड़ रु. में)	*डीटीए बिक्री (करोड़ रु. में)	कुल उत्पादन (करोड़ रु. में)	कुल उत्पादन निर्यात का प्रतिशत
2021-2022	10,18,148	3,27,642	13,45,790	76%
2022-2023	12,92,533	2,49,761	15,42,294	84%
2023-2024	13,86,617	2,72,742	16,59,359	84%

* डीमड निर्यात सहित

(ग) से (ड.): वर्तमान में, देश में 370 एसईजेड अधिसूचित हैं, जिनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित 7 केंद्र सरकार और 12 राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से 278 विशेष आर्थिक क्षेत्र परिचालित हैं। परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र में से, 168 आईटी/आईटीईएस हैं और शेष 110 बहु-क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के कार्य निष्पादन की निगरानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। देश में परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन संबंधित विकास आयुक्तों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है और समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाती है।
